



## प्रेसनोट थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

थाना एत्माद्दौला पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़, 10 अभियुक्तगण सहित एक बाल अपचारी गिरफ्तार करते हुए कब्जे से भारी मात्रा में नकली मोबिल ऑयल व निर्माण करने वाले उपकरण बरामद..

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार क्षेत्र में चोरी/लूट, डकैती, अवैध शराब, नकली मोबिल ऑयल आदि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी/पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी छत्ता के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 26.06.2021 को गठित पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चौकी क्षेत्र फाउण्ड्री नगर टेड़ी बगिया क्षेत्र में व्यस्त थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि कल ऑटो में नकली मोबिल ऑयल से सम्बन्धित सामान व ऑटो पंकज कुशवाह के गोदाम के सामने से बरामद किया था, उससे सम्बन्धित लोग उसी फैक्ट्री में नकली मोबिल ऑयल तैयार कर रहे हैं यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

## **पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही :-**

मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए बताये स्थान पर पहुँचे। फैक्ट्री के पास पहुँच टीम द्वारा चारों ओर से घेरते हुए अन्दर पहुँचे। दीवार की आड़ लेकर देखा अन्दर 11 लोग हैं, जिनमें 01 व्यक्ति निर्देश, 02 व्यक्ति मोबिल ऑयल डिब्बों में, 03 व्यक्ति लेबिल, 03 व्यक्ति कार्टून सहित सभी अन्य कामों में लगे हुए थे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरते हुए एक बारगी दबिश देकर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं एक अभियुक्त फरार होने में सफल रहा। फैक्ट्री की तलाशी लेने पर 70 पेटी हीरो 4टी प्लस मोटरसाइकिल इंजन ऑयल (प्रत्येक पेटी में 20 डिब्बे 900 एमएल), 05 भरे ड्रम (प्रत्येक ड्रम 200 ली0), 02 ड्रम आधे भरे, 01 आधा कटा ड्रम, 01 होज पाइप मशीन, 01 इलैक्ट्रॉनिक मशीन ढक्कन लगाने वाली, 500 ढक्कन कैस्ट्रोल, 500 ढक्कन हीरो, 25 पेटी हीरो फोर टी प्लस, 90 रैपर सीट हीरो फोरटी कम्पनी व 01 टैम्पो बरामद हुए।

## **पूछताछ का विवरण :-**

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपने नाम 01-पंकज कुशवाह पुत्र ओमप्रकाश कुशवाह, 02-सादिक पुत्र कामिल, 03-नदीम पुत्र इकबाल, 04-साबिर पुत्र दिलदार, 05-अमान पुत्र वसीम, 06-सहजान पुत्र इसरार, 07-रिहान पुत्र इकबाल, 08-कासिम पुत्र शौकत अली, 09-सोहिल पुत्र जावेद, 10-मोनू पुत्र नीसार बताये गये एवं फरार अभियुक्त का नाम जीशान उर्फ मुस्ताक भाया पुत्र आबिद बताया गया। मोबिल ऑयल फैक्ट्री के सम्बन्ध में बताया गया हम सभी नकली मोबिल ऑयल बनाने और बेचने का कार्य एक साथ मिलकर करते हैं। हमारा एक और साथी अजय गर्ग पुत्र महावीर प्रसाद गर्ग है। उसकी सीमा ऑयल



फैक्ट्री नामक फैक्ट्री में वाहनों, इंजनों आदि से निकलने वाले खराब व काले मोबिल ऑयल को खरीदते हैं और अपने यहां लगी मशीनों से उसे शोधित करते हैं, जो केवल बड़ी मशीनों इंजन आदि के कलपुर्जों में ऑयलिंग के उपयोग के लिए होता है परन्तु उपरोक्त काम में इस ऑयल की अधिक खपत नहीं होती है और अच्छी कीमत भी नहीं मिलती है। हम लोग असली कम्पनियों के खाली डिब्बों को इकट्ठा कर साफ करके पुनः उसमें इस नकली मोबिल ऑयल को भरकर उस कम्पनी के नाम का नकली ढक्कन वैक्यूम सील लगाकर तथा नकली पैकिंग बॉक्स में भरकर असली की कीमत में बेचते हैं। अजय गर्ग खराब मोबिल ऑयल का कारोबार करता है। हम लोगों को अजय गर्ग कभी 06 ड्रम तो कभी 09 ड्रम में खराब मोबिल ऑयल खाली डिब्बों में भरकर नकली लेबिल लगाकर असली जैसा बनाकर देता है जो हम लोगों को बेच देते हैं। फैक्ट्री के अन्दर जो ड्रम खराब मोबिल ऑयल के भरे रखे हैं वह हमें अजय गर्ग ने ही दिये हैं। नकली मोबिल ऑयल को बेचकर जो मुनाफा होता है उसे हम सब आपस में बांट लेते हैं एवं जो हिस्सा अजय गर्ग का होता है वह ले लेता है।

करीब 01 महीने पहले एक नकली ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री जिसे सारिक अपने साथियों के साथ मिलकर चलाता था। उस फैक्ट्री में भी अजय गर्ग खराब मोबिल ऑयल उपलब्ध कराता था। थाना खन्दौली पुलिस द्वारा फैक्ट्री पर छापा मारकर सभी को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था।

## अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर प्रकाश में आये अभियुक्त व्यक्ति अजय गर्ग की गिरफ्तारी हेतु उसके घर पर एक बारगी दबिश देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी और बरामदगी के सम्बन्ध में थाना एत्माद्दौला पर मु0अ0सं0 433/21 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट पंजीकृत किया गया है।

**विशेष :-** अभियुक्तों की निशानदेही पर विनोद पुत्र निहाल सिंह नि0 कलाल खेरिया थाना ताजगंज के पास से 32 पेटी नकली मोबिल ऑयल बरामद किया गया है जो अभियुक्तों द्वारा विनोद को बेचा गया था, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

01. पंकज कुशवाह पुत्र ओमप्रकाश कुशवाह नि0 ट्रांसयमुना कालौनी थाना एत्माद्दौला।
02. सादिक पुत्र कामिल नि0 पाकीजा हाउस हींग की मण्डी थाना कोतवाली आगरा।
03. नदीम पुत्र इकबाल नि0 बस्ती वाली मस्जिद जीनखाना थाना छत्ता आगरा।
04. साबिर पुत्र दिलदार नि0 सुशील नगर मस्जिद के पास यमुना ब्रिज थाना एत्माद्दौला।
05. अमान पुत्र वसीम नि0 मामा भांजे वाली गली घटिया थाना मण्टोला जनपद आगरा।
06. रिहान पुत्र इकबाल नि0 फौजी वाली गली इस्लाम नगर थाना एत्माद्दौला आगरा।
07. कासिम पुत्र शौकत अली इस्लाम नगर टेड़ी बगिया थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
08. सोहिल पुत्र जावेद नि0 लाला नई बस्ती पाये चौकी के पीछे थाना कोतवाली आगरा।
09. मोनू पुत्र नीसार अली नि0 इस्लाम नगर थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।



10. अजय गर्ग पुत्र महावीर प्रसाद गर्ग नि० जैन मन्दिर के बराबर थाना कमलानगर आगरा।
11. बाल अपचारी।

### ✚ फरार अभियुक्तगण का विवरण :-

01. जीशान उर्फ मुस्ताक भाया पुत्र आबिद नि० गुलाबखाना मन्दिर के सामने थाना छत्ता जनपद आगरा।

### ✚ बरामदगी का विवरण :-

01. 70 पेटी हीरो 4टी प्लस मोटरसाइकिल इंजन ऑयल (प्रत्येक पेटी में 20 डिब्बे)।
02. 05 भरे ड्रम (प्रत्येक ड्रम 200 ली०)।
03. 02 ड्रम आधे भरे।
04. 01 आधा कटा ड्रम।
05. 01 होज पाइप मशीन।
06. 01 इलैक्ट्रॉनिक मशीन ढक्कन लगाने वाली।
07. 500 ढक्कन कैस्ट्रोल।
08. 500 ढक्कन हीरो।
09. 25 पेटी हीरो फोर टी प्लस।
10. 90 रैपर सीट हीरो फोरटी कम्पनी।
11. 01 अदद टैम्पो।
12. 01 अदद कीप।

### ✚ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र शंकर पाण्डेय थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
02. उ०नि० बीरेन्द्र कुमार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
03. उ०नि० रोहित आर्य थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
04. उ०नि० अनुज कुमार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
05. उ०नि० योगेश कुमार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
06. उ०नि० राहुल कुमार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
07. उ०नि० मयंक थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
08. उ०नि० फारुक थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
09. उ०नि० अनुज कुमार थाना सदर जनपद आगरा।
10. उ०नि० ज्ञानेन्द्र सिंह थाना सदर जनपद आगरा।
11. हे०का० आदेश त्रिपाठी मय सर्विलासं टीम जनपद आगरा।
12. का० केडी बाबू, का० कुलदीप कुमार, का० जवाहर सिंह, का० कपिल कुमार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
13. का० योगेन्द्र कुमार, का० शरद कुमार थाना सदर जनपद आगरा।

